

[2021] 12 एस.सी.आर. 502

ऋषिपाल सिंह सोलंकी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या- 1240/2021)

18 नवंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्तिगण]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - किशोर होने का दावा - उम्र का निर्धारण - मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र - प्रतिवादी संख्या 2-आरोपी पर अन्य लोगों के साथ मिलकर अपीलकर्ता और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिससे उसके पिता और चाचा की मौत हो गई थी - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी मां/प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 को किशोर अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया गया - अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए उसका मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की, आवेदन खारिज - प्रतिवादी संख्या 2 को किशोर अपराधी घोषित किया गया - जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई - उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया - अपील पर, माना गया: प्रतिवादी संख्या 2 की जन्मतिथि जैसा कि स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड में दर्ज है, साथ ही मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र भी एक ही है, यानी 25.09.2004 - घटना की तारीख 05.05.2020 थी - संबंधित बोर्ड द्वारा जारी प्रतिवादी क्रमांक 2 की मैट्रिकुलेशन से संबंधित मार्कशीट से यह अनुमान लगता है कि घटना की तारीख को उसकी उम्र 16 वर्ष से कम थी - इसके अलावा, दिनांकित पत्र। प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, यूपी,

(मेरठ) के 22.07.20 के आदेश में भी प्रतिवादी संख्या 2 की जन्मतिथि 25.09.2004 प्रमाणित की गई है। - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रति अपीलकर्ता द्वारा कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है - जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ-साथ जेजे बोर्ड के फैसले को बरकरार रखने वाला उच्च न्यायालय का आदेश, साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 35 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 - नियम 12 - दंड संहिता, 1860 - धारा 147-149, 323, 307, 302, 34 से भिन्न नहीं है।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015- साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 35 - प्रतिवादी संख्या 2 को किशोर अपराधी घोषित करने के लिए दायर आवेदन को संबंधित बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र-सह-अंक पत्र के साथ समर्थित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 की जन्म तिथि 25.09.2004 थी - यह साबित करने के लिए प्रवेश प्रपत्रों पर भरोसा किया गया कि उक्त दस्तावेजों में उल्लिखित प्रतिवादी की जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के अनुरूप है - अपीलकर्ता की दलील है कि उक्त दस्तावेजों की वास्तविकता गंभीर संदेह में थी और इसलिए किशोर होने के दावे के समर्थन में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था - माना गया: वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 की जन्म तिथि को दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज नहीं है - जन्म तिथि में कोई विसंगति नहीं है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015- आयु का निर्धारण - साक्ष्य - स्कूल रिकॉर्ड - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 35 - निर्णय: जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, तो यह

आवश्यक है कि इसे धारा 35 के अनुसार माना जाना चाहिए क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाए गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज में निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी - सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप कोई भी दस्तावेज, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015- धारा 94, 9(2), (3) - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 - धारा 7 ए, 49 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 - नियम 12 - आयु का निर्धारण - प्रक्रिया में अंतर - चर्चा की गई।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - किशोर होने का दावा - निर्णय: आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में किशोर होने का दावा उठाया जा सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी - किशोर होने का दावा उठाने में देरी ऐसे दावे की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती - इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार भी उठाया जा सकता है - जब अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में सबूत पेश किए जाते हैं कि वह किशोर था, तो अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए - यदि एक ही सबूत पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो अदालत को सीमावर्ती मामलों में अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - धारा 9, 94 - किशोरवय का निर्धारण - निर्णय: जब किशोरवय का मुद्दा न्यायालय के समक्ष उठता है, तो यह धारा 9 की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत आता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तो धारा 94 लागू होती

हैं - इसके अलावा, यदि जेजे बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य मांग कर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा - जेजे बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, अधिनियम 2015 के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी - इसलिए, जेजे बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण की डिग्री, जब किशोरवय का दावा करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, जब मुकदमा संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष होता है, तो उस न्यायालय द्वारा जांच किए जाने की तुलना में अधिक होती है, जिसके समक्ष अपराध के किए जाने के संबंध में मामला लंबित है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - धारा 94 - किशोरता की धारणा - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 - नियम 12 - निर्णय: जब किशोरता का दावा किया जाता है, तो दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रारंभिक भार का निर्वहन करने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करने का भार होता है - हालांकि, नियम 12(3)(a)(i), (ii), और (iii), 2007 नियम या धारा 94 की उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे - उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोरता की धारणा बनाई जा सकती है - हालांकि, उक्त धारणा किशोरता की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसका खंडन विपरीत साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में आयु का निर्धारण - निर्णय: अस्थिभंग परीक्षण आयु निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता - किसी व्यक्ति की आयु के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता - ऐसा साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि धारा

94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में विचार करने के लिए केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय

निर्णय: 1.1 किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के निरस्तीकरण और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के लागू होने पर, बोर्ड के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 9(2) और (3) के तहत निर्धारित की गई है। किशोर होने का निर्धारण करने के लिए किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12 के समान कोई संगत नियम नहीं है। दूसरी ओर, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि जब किसी व्यक्ति को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति ('समिति') के समक्ष (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) लाया जाता है और उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो किशोर न्याय बोर्ड या समिति बच्चे की यथासंभव आयु बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगी और आयु की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या 20 धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ेगी। किन्तु जहां उक्त बोर्ड या समिति के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हों कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, वहां जे जे बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगी - (i) स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में; (ii) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; (iii) और केवल उपर्युक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का निर्धारण अस्थिरकरण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा। जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के अंतर्गत, जिसे 22.08.2006 से संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, यह

तर्क देकर किशोर होने का दावा करने का प्रावधान किया गया था कि आरोपी व्यक्ति अपराध की तिथि पर किशोर था और ऐसे मामले में, रिकॉर्ड पर लिए गए साक्ष्य के आधार पर, ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में निष्कर्ष जेजे बोर्ड के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाना था। किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष और किसी भी स्तर पर, यहां तक कि किसी मामले के अंतिम निपटान के बाद भी उठाया जा सकता था और ऐसे दावे को उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना था। यदि न्यायालय ने जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए की उप-धारा (1) के तहत अपराध की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाया, तो उसे उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर को जेजे बोर्ड को भेजना होगा हालाँकि, जेजे अधिनियम, 2015 के तहत, जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के अनुरूप एक प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 2 के रूप में है। [पैरा 21-23][521-डी; 522-ए-एफ; 523-एफ-एच; 524-ए]

1.2 दोनों अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रिया में अंतर निम्नानुसार देखा जा सकता है:

(i) जे.जे. अधिनियम, 2015 के अनुसार धारा 94(ए) और (बी) की उपधारा (2) में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में, उक्त अधिनियम की धारा 94 के अनुसार समिति या जे.जे. बोर्ड के आदेश पर अस्थिभंग परीक्षण या किसी अन्य चिकित्सा आयु संबंधी परीक्षण द्वारा आयु निर्धारण का प्रावधान है; जबकि, जे.जे. नियम, 2007 के नियम 12 के तहत, प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जानी थी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगी।

(ii) साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में, जे.जे. नियम, 2007 के नियम 12 के तहत जो प्रावधान किया गया था, उसे जे.जे.

अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा 2 के तहत एक मूल प्रावधान के रूप में प्रदान किया गया है।

(iii) जे.जे. अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत, जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति किशोर या बच्चा है, तो ऐसा प्राधिकारी जांच करने और आवश्यक साक्ष्य लेने के बाद ऐसे व्यक्ति की किशोरता के बारे में निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और ऐसे व्यक्ति की यथासंभव आयु बता सकता है। धारा 49 की उपधारा (2) में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल इस बात के बाद के किसी प्रमाण से अवैध नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया गया है वह किशोर नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

लेकिन, जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत, जो आयु के अनुमान और निर्धारण से भी संबंधित है, समिति या जे.जे. बोर्ड को बच्चे की यथासंभव आयु बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करनी होगी और आयु की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना जांच के साथ आगे बढ़ना होगा। केवल तभी जब समिति या जेजे बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हों कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, वह साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। धारा 94 की उपधारा (3) में कहा गया है कि समिति या जेजे बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्तियों की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इस प्रकार, दर्ज की गई आयु के निर्धारण से एक अंतिमता जुड़ी हुई है और यह केवल उस मामले में है जहां इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है

या नहीं, तब साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। [पैरा 25-27][524-ई-एफ; 525-ए-ई]

1.3 (i) किसी आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, किशोर होने का दावा किया जा सकता है। किशोर होने का दावा करने में देरी ऐसे दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। इसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार भी उठाया जा सकता है।

(ii) किशोर होने का दावा करने वाला आवेदन न्यायालय या जेजे बोर्ड के समक्ष किया जा सकता है।

(ii क) जब किशोर होने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष उठता है, तो यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

(ii ख) यदि किशोर होने का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उपधारा (2) के साथ लागू या पढ़ा जाना होगा, ताकि व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु बताते हुए निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य मांगा जा सके।

(ii ग) जब किशोर होने का दावा करते हुए जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत जेजे बोर्ड के समक्ष आवेदन किया जाता है, जब कथित अपराध के बारे में मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि जेजे बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा और जेजे बोर्ड

द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, जेजे अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इसलिए जेजे बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण की डिग्री, जब किशोर होने का दावा करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, जब मुकदमा संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष होता है, तो उस अदालत द्वारा जांच किए जाने की तुलना में अधिक होती है, जिसके समक्ष अपराध के बारे में मामला लंबित है (जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 देखें)।

(iii) कि जब किशोर होने का दावा किया जाता है, तो दावा करने वाले व्यक्ति पर न्यायालय को प्रारंभिक दायित्व से मुक्त करने का दायित्व होता है। हालांकि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12(3)(ए)(i), (ii), और (iii) या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने की धारणा बनाई जा सकती है।

(iv) हालांकि उक्त धारणा किशोर होने की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसे विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए प्रतिपक्षी साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।

(v) कि न्यायालय द्वारा जांच की प्रक्रिया, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष वांछित व्यक्ति की आयु किशोर के रूप में घोषित करने के समान नहीं है, जब मामला संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए लंबित हो। जांच के मामले में न्यायालय *प्रथम दृष्ट्या* निष्कर्ष दर्ज करता है, लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर घोषणा की जाती है। साथ ही जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इस प्रकार, जांच में प्रमाण का मानक उस कार्यवाही में अपेक्षित मानक से भिन्न होता है, जहां किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण

और घोषणा केवल जांचे गए साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए और केवल तभी स्वीकार की जानी चाहिए, जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

(vi) किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और प्रत्येक मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रशंसा के आधार पर होना चाहिए।

(vii) जब अभियुक्त की ओर से यह तर्क देने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह किशोर था, तो अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

(viii) यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय को सीमावर्ती मामलों में अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों पर लागू किया जाए। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेजे अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा न किया जाए।

(ix) कि जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार माना जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाए गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज़ की निजी दस्तावेज़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी।

(x) कोई भी दस्तावेज़ जो सार्वजनिक दस्तावेज़ों के अनुरूप है, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों अर्थात् धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

(xi) अस्थिकरण परीक्षण आयु निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में विचार करने के लिए केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है। [पैरा 29][535-ए-एच; 536-ए-एच; 537-ए-डी]

1.4 जेजे बोर्ड, बागपत ने अपने आदेश दिनांक 14.09.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की चिकित्सा जांच की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया और यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि इसे अलग रखा गया है। जेजे बोर्ड के अनुसार, संबंधित बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 25.09.2004 दर्शाई गई वर्तमान मामले में, चूंकि मैट्रिकुलेशन बोर्ड का प्रमाण पत्र उपलब्ध था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 के मेडिकल परीक्षण के आदेश देना अनावश्यक था। दिनांक 11.11.2020 के आदेश द्वारा, जेजे बोर्ड ने प्रतिवादी संख्या 2 को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302 और 34 के तहत अपराधों के लिए केस क्राइम नंबर 116 / 2020 में किशोर अपराधी घोषित किया। पी.एस. सिंघावली अहीर, जिला बागपत। उक्त आदेश को जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए बरकरार रखा है कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 का वर्तमान मामले में अनुपालन किया गया था क्योंकि संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 की जन्मतिथि 25.09.2004 इंगित की गई थी। इसलिए, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा 2 लागू होती है क्योंकि उक्त दस्तावेज पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं था। इसे नकारने के लिए कोई सबूत न होने के अभाव में, आपराधिक पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया था। यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (3) के बल पर है जो एक डीमिंग

प्रावधान है। हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश फॉर्म पर प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर एक जैसे हैं और कक्षा 1 के प्रवेश फॉर्म पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कक्षा 1 में दाखिला लेने के समय उसकी आयु केवल साढ़े चार वर्ष थी। लेकिन तथ्य यह है कि 2019 में, जब प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी कक्षा 10 पूरी की, तो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 25.09.2004 दिखाई गई है। अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए किसी भी खंडन साक्ष्य के अभाव में, भले ही कक्षा 1 और कक्षा 8 में प्रवेश पाने के लिए दस्तावेजों को बदनाम या त्याग दिया गया हो, तथ्य यह है कि संबंधित बोर्ड द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या 2 की मैट्रिकुलेशन से संबंधित मार्कशीट से यह अनुमान लगाया जाता है कि घटना की तारीख यानी 05.05.2020 को उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी। [पैरा 37, 39-42][539-बी-सी, ई-एच; 540-ए-डी]

1.5 अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2 की हाईस्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, राजपत्र वर्ष 2019, अनुक्रमांक 0485064 वर्ष 2019, जिसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (मेरठ) के कार्यालय से प्राप्त सत्यापन पत्र संख्या आर.ओ.आई.इ.सी./अभिलेख/4016 दिनांक 22.07.2020 ने भी अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2 की जन्मतिथि 25.09.2004 प्रमाणित की है। इसके अलावा, उक्त मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा, स्कूल के प्रवेश रिकॉर्ड के साथ-साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि एक ही है, अर्थात् 25.09.2004। घटना 05.05.2020 को हुई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 की आयु घटना की तिथि को मात्र 15 वर्ष 7 माह थी, जो किसी भी स्थिति में 16 वर्ष से कम है। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के विपरीत दूसरे प्रतिवादी की जन्म तिथि दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। जन्म तिथि में कोई विसंगति उत्पन्न नहीं होती है। दूसरे

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विरुद्ध कोई विपरीत साक्ष्य अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश से भिन्न होने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसने इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ-साथ जेजे बोर्ड के निर्णय को बरकरार रखा है। [पैरा 44, 46][540-जी-एच; 541-ए-बी; 541-डी-ई]

संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(2019) 12 एससीसी 370: [2019] 9 एससीआर 735 – विभेदित

1.6 जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 जेजे बोर्ड या समिति के समक्ष लाए गए बच्चे की किशोर आयु के बारे में एक अनुमान लगाती है। लेकिन अगर बोर्ड या समिति के पास उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति के बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं, तो वह साक्ष्य मांगकर उम्र के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस प्रकार, प्रारंभिक चरण में उक्त अधिकारियों द्वारा यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाया गया बच्चा किशोर है। उक्त अनुमान बच्चे के अवलोकन के आधार पर लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, उक्त अनुमान तब नहीं लगाया जा सकता है जब समिति या बोर्ड के पास उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति के बारे में संदेह के लिए उचित आधार हों। ऐसे मामले में, वह साक्ष्य द्वारा आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु जेजे अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (3) में मानित प्रावधान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समिति या जे.जे. बोर्ड के समक्ष लाए गए बच्चे की आयु के बारे में विवाद या संदेह को जे.जे. बोर्ड या समिति के स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। [पैरा 47, 48][541-एफ-एच; 542-सी-डी]

बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य (2008) 13 एससीसी 133 :
 [2008] 14 एससीआर 161; मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह
 (2015) 7 एससीसी 773 : [2015] 6 एससीआर 960; अश्विनी
 कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750 :
 [2012] 10 एससीआर 540; अर्नित दास बनाम बिहार राज्य (2000)
 5 एससीसी 488 : [2000] 1 अनुपूरक एससीआर 69; जितेंद्र राम
 बनाम झारखंड राज्य (2006) 9 एससीसी 428 : [2006] 1 अनुपूरक
 एससीआर 286; भोला भगत एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1997) 8
 एससीसी 720 : [1997] 4 अनुपूरक एससीआर 711; जबर सिंह
 बनाम दिनेश एवं अन्य (2010) 3 एससीसी 757 : [2010] 3
 एससीआर 353; मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह (2015) 7
 एससीसी 733; राम विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021
 क्रिएलजे 2805 - पर भरोसा किया गया।
 अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10
 एससीसी 489: [2012] 9 एससीआर 244; पराग भाटी बनाम उत्तर
 प्रदेश राज्य (2016) 12 एससीसी 744: [2016] 2 एससीआर 1089 -
 संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

[2016] 2 एससीआर 1089	संदर्भित	पैरा 12
[2019] 9 एससीआर 735	प्रतिष्ठित	पैरा 12
[2012] 9 एससीआर 244	संदर्भित	पैरा 12
[2008] 14 एससीआर 161	निर्भर	पैरा 16
[2015] 6 एससीआर 960	निर्भर	पैरा 16

[2012] 10 एससीआर 540	निर्भर	पैरा 28(ए)
[2000] 1 अनुपूरक एससीआर 69	निर्भर	पैरा 28(सी)
[2006] 1 अनुपूरक एससीआर 286	निर्भर	पैरा 28(डी)
[1997] 4 अनुपूरक एससीआर 711	निर्भर	पैरा 28(डी)
[2010] 3 एससीआर 353	निर्भर	पैरा 28(ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1240/2021

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 430/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र के दिनांक 12.03.2021 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से अनुपम द्विवेदी, प्रदीप कुमार द्विवेदी, संदीप कुमार द्विवेदी, सत्यम पांडेय, विश्वेश्वर मिश्रा, विकास कुमार सिन्हा, राकेश मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से शरण ठाकुर, एएजी, सर्वेश सिंह बघेल, शांतनु सिंह, सौरभ त्रिवेदी, एस. सी. त्रिपाठी, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया।

न्यायमूर्ति नागरत्ना

1. अपीलार्थी ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 430/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2021 को पारित आक्षेपित आदेश के खिलाफ इस अपील को दायर किया है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम (विशेष न्यायालय), बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा आपराधिक अपील संख्या-27/2020 में दिनांक 04.01.2021 के पारित आदेश के विरुद्ध दायर उपरोक्त आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। उक्त आपराधिक अपील प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बागपत द्वारा दिनांक 11.11.2020 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302 और 34 (संक्षेप में, 'भ. दं. सं') के अंतर्गत है।

अपराध वाद संख्या-116/2020, थाना- सिंहवाली अहिर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, से उत्पन्न विविध वाद संख्या.16/2020 में आरोपी- निशांत सोलंकी उर्फ निशु (प्रतिवादी संख्या 2) को एक किशोर अपराधी घोषित करते स्वीकृत किया ।

2. स्पष्ट रूप से विदित तथ्य यह है कि, दिनांक 05.05.2020 को लगभग 4 बजे अपराहन हुई एक घटना में ,प्रतिवादी संख्या. 2 – निशांत सोलंकी उर्फ निशु (इसके बाद 'निशांत' के रूप में संदर्भित) और अन्य अभियुक्तों के ऊपर, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी और उसके परिवार के ऊपर, गंभीर चोटों के साथ-साथ हमला करने के लिए आरोप लगाया गया है, जो अपीलार्थी के पिता भोपाल सिंह की मौत का कारण बन रहा है, जिन्हें उसी दिन अर्थात् 05.05.2020 को डॉक्टर ने 'मृत लाया' घोषित कर दिया था, और उनके चाचा कालूराम, जिनकी, उपरोक्त घटना में उन्हें लगी गंभीर चोटों के कारण दिनांक 09.05.2020 को मृत्यु हो गई।

3. निशांत, ने, अपनी माँ/स्वाभाविक अभिभावक-प्रतिवादी संख्या-3 के माध्यम से यहाँ, एक आवेदन, विविध वाद संख्या-16/2020 किशोर न्याय बोर्ड (इसके बाद 'जेजे बोर्ड' के रूप में संदर्भित), बागपत के समक्ष दायर किया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी सं-2/ अर्थात्, अभियुक्त, निशांत को किशोर अपराधी घोषित किया जाए। प्रतिवादी सं.-3, जो निशांत की माँ और प्राकृतिक संरक्षक है, के माध्यम से उक्त आवेदन पर साक्ष्य दिया गया था। उसी के बारे में पता चलने पर, अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त कार्यवाही में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत, (संक्षेप में, 'द.प्र.स.') दिनांक 20.07.2020 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें, किशोर न्याय बोर्ड से प्रतिवादी संख्या -3 के प्रति-परीक्षण की अनुमति मांगी गई थी। इसमें अपीलार्थी को 22.07.2020 को ऐसा करने की अनुमति दी गई थी, जिस तारीख को आवेदन आगे निशांत की माँ की प्रति

परीक्षण के लिए तय किया गया। उक्त तिथि पर, अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 की आगे प्रतिपरीक्षण की गई।

4. एक अन्य गवाह, मनोज कुमार, प्राचार्य, सरदार वल्लभभाई पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय, शजरपुर, कैदना, जिला बागपत भी थे जिनकी 10.08.2020 को प्रतिवादी साक्ष्य--2 के रूप में परीक्षण की गई और बाद में, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंडोरा, जिला बागपत, के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सैनी की प्रतिवादी साक्ष्य- 3 के रूप में परीक्षण की गई।

5. पुलिस ने प्रतिवादी सं- 2. निशांत, सहित अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी भा०द०स० की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302 और 34 के अधीन दिनांक 22.07.2020 को आरोप पत्र दायर किया है।

6. उक्त कार्यवाही में, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 09.09.2020 को चिकित्सीय परीक्षण हेतु एक आवेदन प्रतिवादी सं०-2 निशांत की वास्तविक और सही उम्र का पता लगाने के लिए दायर किया गया था। प्रतिवादी के उक्त आवेदन को दिनांक 14.09.2020 के आदेश द्वारा, खारिज कर दिया गया, और मामले को प्रतिवादी सं-2 निशांत की आयु के निर्धारण के मुद्दे पर सुनवाई हेतु 23.09.2020 को रखने का आदेश दिया गया।

7. प्रतिवादी सं० 2 निशांत के चिकित्सा परीक्षण के दिनांक- 09.09.2020 के आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर अपीलार्थी ने आपराधिक पुनरीक्षण, जिला और सत्र न्यायाधीश, बागपत के समक्ष और एक आवेदन, जो स्थानांतरण आवेदन (आपराधिक) संख्या-158/2020 है, उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए दायर किया कि, किशोर न्याय बोर्ड, बागपत के समक्ष लंबित विविध वाद सं०-

16/2020 में हो रही कार्यवाही को राज्य के किसी अन्य किशोर न्याय बोर्ड को हस्तांतरित किया जाये।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, किशोर न्याय बोर्ड, बागपत ने दिनांक 11.11.2020 के आदेश के माध्यम से आवेदन, विविध वाद सं०- 16/2020 जो प्रतिवादी सं०-3, निशांत की माँ द्वारा दायर की गयी थी, की अनुमति दी और निशांत को किशोर अपराधी घोषित किया। प्रतिवादी सं०-3 द्वारा दायर वाद सं०-16/2020 के उक्त आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' के रूप में संदर्भित) की धारा 101 के तहत आपराधिक अपील सं०- 27/2020 के रूप में जिले और सत्र न्यायाधीश, बागपत, के समक्ष एक अपील दायर की। उक्त न्यायालय ने दिनांक 04.01.2021 के अपने निर्णय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 430/2021 दायर किया। उक्त आपराधिक पुनरीक्षण को भी उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.03.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। उसी से आहत होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।

9. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी, श्री शरण ठाकुर, प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री सौरभ त्रिवेदी, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री द्विवेदी ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादी सं०-2 के उपर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, भा०द०स० की धारा 147, 148, 149,

323, 307, 302 और 34 के तहत गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन प्रतिवादी स०-2 ने किशोरावस्था का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया है और बागपत में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा गलती से इसकी अनुमति दी गई है जिसने अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी आदेश को कायम रखा है। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त प्रतिवादी स०-2 की ओर से परीक्षण किये गए गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास हैं, विशेष रूप से, उसकी माँ की ओर से, जन्म तिथि के संबंध में, जिसे 25.09.2004 बताया गया है, लेकिन यह विधि के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है। स्कूल प्रवेश प्रपत्र (अनुलग्नक पी-11) को प्रदर्श ए-8 के रूप में प्रस्तुत किया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि उस समय प्रतिवादी स०-2 निशांत कथित तौर पर चार साल के थे। प्रदर्श ए-9 (अनुलग्नक पी-12) के दस्तखत को प्रतिवादी स०-2, निशांत, जब बारह वर्ष के थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर समान हैं। इसलिए, उक्त दस्तावेजों की वास्तविकता गंभीर संदेह में है और प्रतिवादी स०-2 के किशोरावस्था के संबंध में इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था ।

11. प्रदर्श ए-8 में, हमारा ध्यान कॉलम स०-15 की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें छात्र की आधार संख्या को भरने की आवश्यकता होती है, यह तर्क देने के लिए कि उक्त प्रपत्र 02.07.2009 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-2 का प्रवेश मांगा गया है। जुलाई 2001 में यू. आई. डी./आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकी क्योंकि यह पहली बार केवल नंदुरबार, महाराष्ट्र के निवासी को 29.09.2010 को जारी किया गया था। यह आग्रह किया गया कि प्रदर्श ए-8 (अनुलग्नक पी-11) प्रतिवादी संख्या-2 की आयु को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बनवाया दस्तावेज है जिस आधार पर किशोरावस्था के लाभ का दावा करते हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि यदि वर्ष 2009 में, प्रतिवादी संख्या— 2

जब वे पाँच साल से कम उम्र के थे, तब उन्होंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया था, तब केवल पाँच साल की अवधि के बाद, वे आठवीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते थे। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वह कक्षा 1 में पाँच साल की पढ़ाई के बाद ही वह 8 वीं कक्षा में प्रवेश कैसे ले सकते थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी गवाह-3, प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य ने अपनी प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश पत्रों पर निशांत के हस्ताक्षर समान हैं। इसलिए यह तर्क दिया गया कि यह संदिग्ध है कि एक शिशु, जिसकी आयु लगभग चार वर्ष (यदि वास्तव में प्रतिवादी स०-2 की जन्म तिथि 25.09.2004 थी,) थी, जब उन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश मांगा तो स्कूल प्रवेश पत्र पर अपना नाम हस्ताक्षरित कर सकता था। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के हस्ताक्षर जाली हैं क्योंकि चार साल की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल प्रवेश प्रपत्र पर अपने नाम पर हस्ताक्षर नहीं कर पाता, और दूसरा, उस उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश भी नहीं ले सकता था।

12. यह तर्क दिया गया कि किशोर न्याय बोर्ड ने, किशोर न्याय. अधिनियम, 2015 की धारा—94 के पीछे के विधायी इरादे की सराहना नहीं की है, यह घोषणा करते हुए कि किशोर की उम्र निर्धारित करने हेतु गवाहों या अन्य लोगों की मौखिक गवाही में अन्य भौतिक विसंगतियों के बावजूद किशोर की उम्र निर्धारित करने हेतु जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनकी तुलना में मैट्रिक प्रमाणपत्र निर्णायक दस्तावेज़ है। उक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में *पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एसएससी प्रतिपरीक्षा* -(2016)-12-744; *संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एस.सी.सी.* (2019)12 370; और *अबुजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एस.सी.सी.* -(2012) 10-489; पर निर्भरता रखी गई थी।

13. यह आगे तर्क दिया गया कि उपरोक्त मामलों में, अभियुक्त के किशोरावस्था का दावा को साक्ष्य में विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्तों को जारी किये गये मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार, वे किशोर थे। अन्य शब्दों में, यह तर्क दिया गया था कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिखाई गई आयु को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यदि कोई अन्य साक्ष्य मौजूद है, जो इसके विपरीत है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश, अपीलीय न्यायालय का निर्णय और किशोर न्याय बोर्ड, बागपत द्वारा पारित आदेश को अलग रखा जा सकता है और प्रतिवादी स०-2 निशांत की ओर से दायर आवेदन को बर्खास्त किया जा सकता है।

14. श्री शरण ठाकुर, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का समर्थन किया और कहा कि प्रतिवादी स०-2 का मैट्रिक प्रमाण पत्र इसे साथ में दिए गए दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई निशांत की आयु पूर्व-ए 8 और ए 9 में दर्शाई गई आयु के साथ मेल खाती है। यह तर्क दिया गया कि इन दस्तावेज़ों को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त प्रदर्शनों पर निशांत के हस्ताक्षर नहीं हो सकते थे। वे उस उम्र के अनुरूप भी नहीं हैं जिस उम्र में निशांत को स्कूल में भर्ती कराया गया होगा और उसने अपना मैट्रिक पूरा किया। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ विद्वान जिला न्यायाधीश और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों को भी रद्द किया जा सकता है।

15. श्री सौरभ त्रिवेदी, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि निशांत का जन्म 25.09.2004 और घटना की तारीख यानी

05.05.2020 को हुआ था, उस समय वह एक नाबालिग था और उसकी उम्र केवल 15 वर्ष और 8 महीने की थी। यह कि, प्रारम्भ में, उन्होंने गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की और 2009 में कक्षा 1 में भर्ती हुए; उन्होंने सर्वोदय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, ग्राम खिंडोडा, जिला बागपत से कक्षा 6, 7 और 8 उत्तीर्ण की और 31.03.2017 को स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें उनकी जन्म तिथि 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई थी; कि निशांत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल हायर ग्रामकेंद्री स्कूल, खंजरपुर खैदर, जिला बागपत, में 04.07.2017 को दाखिला लिया और अपना हाई स्कूल पूरा किया और 85 प्रतिशत अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा पास किया। उत्तर प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, बोर्ड परीक्षा के पूरा होने पर हाई स्कूल प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कक्षा 10 के लिए अपनी जन्म तिथि 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई है। इसलिए, घटना की तारीख को अर्थात् 05.05.2020, को प्रतिवादी सं-2 एक किशोर था और इसलिए किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं- 2 निशांत के वाद की उचित सराहना की है और उसके किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन को लागू किया। यह तर्क दिया गया था कि मैट्रिक प्रमाण पत्र या परीक्षा संचालन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र(अनुलग्नक पी-15), किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुरूप, उक्त किशोर की आयु जाँच का पर्याप्त प्रमाण है। अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एस. सी. सी. (2012) 9-750, पर निर्भरता यह तर्क देने के लिए रखी गई कि मैट्रिक प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर किशोर अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। इसलिए इस अपील में कोई दम नहीं है।

16. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी प्रतिवादी सं.-2 का उनकी आयु के निर्धारण के उद्देश्य से, अस्थिकरण परीक्षण नहीं ले सकता है। *बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य-(2008) 13 एस. सी. सी. 133*, और *मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनुप*

सिंह (2015) 7 एस. सी. सी. 773 के द्वारा भी, यह उम्र के निर्धारण के उद्देश्य से निर्णायक नहीं है।

17. यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थी प्रतिवादी सं. 2 निशांत, के वाद को नकारने में सफल नहीं हुआ है, जो घटना की तारीख को नाबालिग है, और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत सभी सुरक्षा का हकदार है। यह तथ्य प्रस्तुत किया गया था कि अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

18. किशोर न्याय अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की अगली कड़ी है, जिसे तब से निरस्त कर दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत, 2006 के अधिनियम- 33 द्वारा 22.8.2006 से एक संशोधन किया गया था जिसके तहत धारा 7 ए डाली गई थी जो निम्नानुसार है:

“7 ए. किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किए जाने पर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।—

(1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, या न्यायालय के समक्ष यह राय रखी जाती है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, न्यायालय इसकी परीक्षण करेगा, और ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन शपथ पत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या वह व्यक्ति किशोर है, या एक बच्चा या नहीं, उसकी उम्र को लगभग बताते हुए:

बशर्ते कि किशोरावस्था का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और वाद के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और

बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा; इसके तहत, भले ही किशोर होना, इस अधिनियम के प्रारंभ तारीख को या उससे पहले ही समाप्त हो गया हो।

(2) यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह किशोर को बोर्ड के पास उचित आदेश पारित करने हेतु और , यदि कोई हो, तो न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश भेजेगी जिसका कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।”

उक्त अधिनियम की धारा 49 निम्नानुसार है:

“49. आयु का अनुमान और निर्धारण-(1) जहाँ यह एक सक्षम प्राधिकरण को यह दिखाई देता है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके सामने लाया गया व्यक्ति एक किशोर या बच्चा है, सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की उम्र के बारे में उचित परीक्षण करेगा और उस हेतु ऐसा करेगा कि, उद्देश्य के लिए साक्ष्य जो आवश्यक हो (लेकिन एक शपथ पत्र नहीं) और एक निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी उम्र लगभग हो सकती है।

(2) सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया गया है वह किशोर या बच्चा नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई आयु, इसके समक्ष लाए गये, व्यक्ति की वही आयु होना, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

19. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद 'जेजे नियम, 2007' के रूप में संदर्भित) के नियम 12 ने आयु के निर्धारण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया। नियम 12 निम्नानुसार है -

“12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) विधि के साथ टकराव में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या इन नियमों के नियम 19 के अधीन निर्दिष्ट

समिति या जैसा भी मामला हो, उस उद्देश्य के लिए आवेदन, विधि बनाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर विधि के साथ टकराव में, मैं ऐसे किशोर या बच्चे की किशोर उम्र निर्धारित करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, तय करेगी कि किशोरत्व या अन्यथा बच्चे का किशोर होना, या जैसा भी मामला हो विधि के अनुसार किशोर, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, और उसे अवलोकन गृह या जेल भेजे।

(3) विधिक उलझन में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक वाद में, आयु निर्धारण परीक्षण, न्यायालय अथवा बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी-

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

(ii) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि (खेलने का विद्यालय के अलावा) जहां पहले भाग लिया; और जिसकी अनुपस्थिति में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(ख) और (उपरोक्त खंड (ए) के i), (ii) या (iii) केवल दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से माँगी गई चिकित्सा राय होगी- जो किशोर या बच्चे की उम्र निर्धारित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी हो, उनके द्वारा अभिलिखित किए जाने के कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय और, ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद, या चिकित्सीय राय जो भी उपलब्ध हो, एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके बच्चा या किशोर होने का लाभ दे सकते हैं,

जैसा भी मामला हो, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा और खंड (क) (i), (ii), (iii) में से किसी में भी निर्दिष्ट साक्ष्य, या जिनके

अभाव में, खंड (ख) ऐसे बच्चे या विधिक उलझन में किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि विधिक उलझन में किशोर या बच्चे या किशोर की आयु अपराध की तारीख को 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण के आधार पर, न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी जिसमें आयु का उल्लेख किया जाएगा और किशोरावस्था की स्थिति या अन्यथा घोषित इस अधिनियम के उद्देश्य और इन नियमों हेतु की जाएगी, और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) इनके अलावा अधिनियम की धारा 7 ए, धारा 64 और नियमों के संदर्भ में और जहां आगे की परीक्षण या अन्यथा की आवश्यकता है। प्रमाणपत्र या इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद न्यायालय या बोर्ड द्वारा जाँच के बाद आगे कोई जाँच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होंगे जिनका निपटारा किया गया है, जहां प्रावधानों के अनुसार किशोरावस्था की स्थिति अधिनियम और उप-नियम (3) में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें अधिनियम के तहत विधिक उलझन में किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए सजा के वितरण की आवश्यकता होती है।

20. किशोर न्याय नियम, 2007 का नियम 12 आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। विधिक उलझन में किसी व्यक्ति की किशोरता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति, या यदि उपलब्ध हो तो दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था। लेकिन न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आयु के निर्धारण की परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत की गई थी: (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और जिसके अभाव में; (ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (एक खेल विद्यालय के अलावा) जहाँ पहले उपस्थित हुए; और जिसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। और केवल उपरोक्त (i) ((ii) और (iii) की अनुपस्थिति में, किशोर या बच्चे की आयु घोषित करने के सम्बंध में विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जा

सकती है। यह भी प्रावधान किया गया था कि जब निर्धारण किया जा रहा था, तो एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दिया जा सकता था। यदि विधिक उलझन में एक किशोर 18 वर्ष से कम का पाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा किशोरता की स्थिति घोषित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाना था। उक्त प्रक्रिया उन मामलों के निपटारे के लिए भी लागू थी जहां किशोरावस्था की स्थिति अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित नहीं की गई थी।

21. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के निरसन और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन पर प्रक्रिया, इसका पालन तब किया जाता है जब बोर्ड के अलावा किसी भी न्यायालय के समक्ष धारा 9 (2) और (3) में निर्धारित किया गया है, के तहत किशोरावस्था का दावा किया जाता है। वही नीचे पढ़ा जाता है -

“2) यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति एक बालक है या अपराध किये जाने की तारीख को एक बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि व्यक्ति अपराध करने की तारीख को बालक था, तो उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु की अवधारणा करने के लिए ऐसी परीक्षण करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन एक शपथपत्र नहीं) और उस व्यक्ति की यथासम्भव निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा,

परंतु ऐसा कोई दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसको किसी भी प्रक्रम पर वाद के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्वीकार किया जायेगा और उस दावे का अवधारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व एक बालक न रह गया हो।

(3) यदि न्यायालय यह पाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और ऐसी अपराध करने की तारीख को वह बालक था, तो वह बच्चे को समुचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।"

किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12 के समान किशोरता निर्धारित करने के लिए कोई संबंधित नियम नहीं है।

22. दूसरी ओर, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत यह धारणा व्यक्त की जाती है कि जब किसी व्यक्ति को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति (संक्षेप में 'समिति') के समक्ष लाया जाता है (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) और उक्त व्यक्ति एक बालक है, तो किशोर न्याय बोर्ड या समिति बच्चे की जितनी उम्र लगभग हो सके, बताते हुए ऐसे अवलोकन को दर्ज करेगी और आयु की आगे पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या 36 जैसा भी मामला हो, के अधीन परीक्षण के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां उक्त बोर्ड या समिति के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं जैसा भी मामला हो, तो किशोर न्याय बोर्ड या समिति, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करें -

- (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
- (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(iii) और केवल (i) और (ii) की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण, समिति या बोर्ड के आदेश पर, एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। समिति या बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु, जो उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की आयु होगी, अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। तत्काल संदर्भ के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 निम्नानुसार निकाली गई है:

“94. आयु का अनुमान और निर्धारण।- (1) जहां समिति या बोर्ड को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो समिति या बोर्ड बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगा और उम्र की आगे की अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 14 या धारा 36 के अधीन परीक्षण करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि क्या उसके सामने लाया गया व्यक्ति एक बच्चा है या नहीं, समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा -

क) विद्यालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

ख) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत निकाय द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

ग) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) की अनुपस्थिति में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित अस्थिकरण परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के बाद किया जायेगा:

परंतु, समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसा आयु निर्धारण परीक्षण ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गये व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

23. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7ए के तहत जिसे 22.08.2006 से प्रभावी एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह तर्क देते हुए किशोरता का दावा करने का प्रावधान किया गया था कि आरोपी व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था और ऐसे वाद में, अभिलेख पर लिए गए साक्ष्य पर, ऐसे व्यक्ति की उम्र के बारे में एक निष्कर्ष किशोर न्याय बोर्ड के अलावा न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाना था। किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष और किसी भी स्तर पर, किसी वाद के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता था और इस तरह के दावे का निर्धारण उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में किया जाना था। यदि न्यायालय किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7ए की उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर पाता है, तो उसे किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजना पड़ता है और न्यायालय द्वारा दी गई सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं होगा। हालाँकि, किशोर न्याय अधिनियम 2015, के तहत, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7ए के अनुरूप प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 2 के रूप में है, जिसे उपर से निकाला गया।

24. इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 49 के विपरीत, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 आयु के अनुमान और निर्धारण का प्रावधान करती है यदि किशोर न्याय बोर्ड या समिति के पास संदेह करने के लिए

उचित आधार हैं कि क्या उसके सामने लाया गया व्यक्ति, बच्चा है या नहीं। यह साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा जैसे कि:

- (i) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
- (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; और
- (iii) केवल (i) और (ii) की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर, एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु सम्बंधी परीक्षण द्वारा निर्धारण किया जाएगा।

25. दोनों अधिनियमों के तहत प्रक्रिया में अंतर को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

- (i) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार धारा 94 (ए) और (बी) की उप-धारा (2) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों में, उक्त अधिनियम की धारा 94 के अनुसार समिति या किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर आयोजित किए जाने वाले अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य चिकित्सा आयु संबंधी परीक्षण द्वारा आयु के निर्धारण का प्रावधान है ; जबकि, किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12 के तहत, प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में, विधिवत गठित एक चिकित्सा मेडिकल बोर्ड से राय लेनी थी जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा।
- (ii) साक्ष्य के रूप में प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में, किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12 के तहत जो प्रदान किया गया था, उसे किशोर न्याय

अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा 2 के तहत एक ठोस प्रावधान के रूप में प्रदान किया गया है।

(iii) किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत, जहां एक सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति किशोर या बालक था, तब ऐसा प्राधिकारी, जाँच करने और आवश्यक साक्ष्य लेने के बाद, ऐसे व्यक्ति की किशोरता के बारे में निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और ऐसे व्यक्ति की लगभग आयु बता सकता है। धारा 49 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में आदेश दिया गया था, वह किशोर नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सामने इस तरह लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु को अधिनियम के उद्देश्य से उस व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा।

26. लेकिन, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत, जो उम्र के अनुमान और निर्धारण से भी संबंधित है, समिति या किशोर न्याय बोर्ड को बच्चे की लगभग उम्र को बताते हुए इस तरह के अवलोकन को दर्ज करना होता है और आयु की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना परीक्षण के साथ आगे बढ़ना होता है। केवल तभी जब समिति या किशोर न्याय बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि, उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, वह साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

27. धारा 94 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि समिति या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को अधिनियम के उद्देश्य से, उसके सामने लाए गए व्यक्तियों की वास्तविक आयु माना जाएगा। इस प्रकार, आयु के निर्धारण के साथ एक अंतिमता जुड़ी हुई है यह अभिलिखित किया गया है और यह केवल उस मामले में है

जहां संदेह के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि क्या समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, कि साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

28. विचाराधीन प्रावधानों पर प्रासंगिक निर्णय को इस स्तर पर संदर्भित किया जा सकता है:

(क) *अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य- एस. सी. सी. (2012) 9- 750* के वाद में, इस न्यायालय ने यह राय दी कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत न्यायालय परीक्षण करने के लिए बाध्य है, न कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षण या विचारण के लिये न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी राय व्यक्त की:

“34.... . . ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, में की गई जन्म तिथि प्रविष्टि ,पहले विद्यालय में उपस्थित होने का प्रमाण पत्र और यहां तक कि निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय अधिनियम के तहत काम करने वाली समिति से इस तरह की शंकात्मक परीक्षण करने और उन दस्तावेजों की शुद्धता की परीक्षण करने के लिए सामान्य कारबार के दौरान उन प्रमाणपत्रों के पीछे जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। केवल उन मामलों में जहां उन दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों को मनगढ़ंत या हेरफेर किया गया पाया जाता है, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है।

(ख) *अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,एस. सी. सी. (2012) 10- 489*, के वाद में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसे संक्षेप में नीचे दिया गया है:

" 39.1. वाद के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोरावस्था का दावा किया जा सकता है। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष और वाद के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। किशोरावस्था का दावा अपील में उठाया जा सकता है, अगर विचारण न्यायालय के समक्ष दबाव न डाला जाए और इस न्यायालय के समक्ष पहले बार के लिए उठाया जा सकता है, यद्यपि विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय के समक्ष दबाव नहीं डाला गया हो।

39.2. दोषसिद्धि के बाद किशोरावस्था के संबंध में दावा प्रस्तुत के लिए, दावेदार को कुछ तत्वों को प्रस्तुत करना होगा जो प्रथम दृष्टया न्यायालय को संतुष्ट कर सकता है कि किशोरावस्था दावे की परीक्षण आवश्यक है। किशोरावस्था का दावा करने वाले व्यक्ति को प्रारंभिक दबाव सहना पड़ता है।

39.3. किन तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो न्यायालय को संतुष्ट करने और/या प्रारंभिक कार्य के निर्वहन के लिए पर्याप्त है। दबाव को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि साक्ष्य के एक विशिष्ट भाग को कितना वजन दिया जाए जो किशोरावस्था की धारणा को बढ़ाने में पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नियमों 12(3)(क) (i) से (iii) तक में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से नियम 12 के तहत आगे की परीक्षण की आवश्यकता वाले अपराधी की उम्र के बारे में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान (12 का पृष्ठ 6) बहुत ही अस्थायी है और किशोरावस्था के दावे को उचित ठहराने या अस्वीकार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है। दोषसिद्धि के बाद, प्राप्त स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता, प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। अकबर शेख, एस. सी. सी. - (2009) 7-415 और पवन- एस. सी. सी. (2009) 15 259, ये दस्तावेज प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाए गए, जबकि जितेंद्र सिंह--एस. सी. सी. (2010) 13- 523 में ये दस्तावेज अर्थात्, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, अंकपत्र और चिकित्सा रिपोर्ट को अपीलार्थी की उम्र की परीक्षण और सत्यापन का निर्देश देने के लिए पर्याप्त माना गया। यदि ऐसे दस्तावेज, प्रथम दृष्टया,

न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो न्यायालय धारा 7-ए के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेजों के अनुसार कार्यवाई कर सकता है और अपराधी की उम्र के निर्धारण के लिए परीक्षण का आदेश दे सकता है।

39.4. इससे पहले अपील या पुनरीक्षण में पहली बार उठाए गए किशोरावस्था के दावे के समर्थन में दावेदार या किसी माता-पिता या भाई-बहन या रिश्तेदार का शपथ पत्र या वाद के लंबित रहने के दौरान या न्यायालय में वाद के निपटारे के बाद ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए जाँच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ इतनी स्पष्ट न हों जो अपराधी की आयु निर्धारित करने के लिए जाँच का आदेश देने के लिए न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करती हों।

39.5. जिस न्यायालय में, किशोरता की याचिका पहली बार उठाई जाती है, उसे हमेशा अधिनियम 2000, के उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए और इस स्थिति के लिए विद्यमान होना चाहिए कि अधिनियम 2000, में निहित लाभकारी और हितकारी प्रावधान, अति तकनीकी दृष्टिकोण और 2000 के अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा पराजित नहीं हैं, को ऐसे लाभ मिलेंगे। न्यायालयों को किसी भी सामान्य धारणा से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि स्कूलों में माता-पिता/अभिभावक भविष्य के लाभों के लिए अपने बच्चों की उम्र को एक या दो साल से कम बताते हैं या चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा आयु निर्धारण बहुत सटीक नहीं है। मामले को प्रथम दृष्टया संभाव्यता की प्रधानता के मानकस्तर पर माना जाना चाहिए।

39.6. किशोरावस्था की विश्वसनीयता में कमी या किशोरावस्था के तुच्छ दावे या किशोरावस्था के स्पष्ट रूप से बेतुके या स्वाभाविक रूप से असंभव दावे को जब भी न्यायालय के दहलीज पर उठाया जाता है तो उसे खारिज किया जाना चाहिए।

(ग) *अनीत दास बनाम बिहार राज्य-एस. सी. सी. -(2000) 5 488*, में इस न्यायालय ने कहा कि जबकि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि वह किशोर है या नहीं, अभियुक्त की आयु के निर्धारण के प्रश्न पर विचार करते हुए, इस दलील के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करते हुए कि वह किशोर था, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण को नहीं

अपनाया जाना चाहिए और यदि दो विचार संभव हो सकते हैं, तो न्यायालय को नजदीकी मामलों में अभियुक्त को किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम के एक कल्याणकारी विधान, होने से न्यायालयों को यह देखने के लिए उत्साही होना चाहिए कि एक किशोर को अधिनियम के प्रावधानों का पूरा लाभ प्राप्त हो, लेकिन साथ ही न्यायालयों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि अधिनियम के तहत संरक्षण और विशेषाधिकारों का बेईमान व्यक्तियों को गंभीर अपराध करने के लिए सजा से बचने के लिए दुरुपयोग न हो।

(घ) *जितेंद्र राम बनाम झारखंड राज्य, एस.सी.सी. (2006) 9-428* में, इस न्यायालय ने *भोला भगत और अन्य बनाम बिहार राज्य- एससीसी (1997) 8-720*, के वाद में अपनी पूर्व टिप्पणियों पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है, जिसमें यह देखा गया कि न्यायालय पर एक दायित्व डाला गया है कि जहां ऐसी याचिका सामाजिक रूप से उन्मुख कानून की लाभकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उठाई जाती है, उसकी बहुत सावधानी से जाँच होनी चाहिए। यह न्यायालय *भोला भगत* (सु.को.) में अपने निर्णय का उल्लेख कर रहा है; जिसे निम्नलिखित रूप में देखा गया:

“20. ...हालाँकि, हमारी राय है कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो व्यक्ति उक्त अधिनियम के लाभ का हकदार नहीं है, उससे नरमी से निपटा जाएगा, केवल इसलिए कि इस तरह की याचिका उठाई गई है। प्रत्येक याचिका को उसकी योग्यता के आधार पर आंका जाना चाहिए। प्रत्येक मामले को अभिलेख पर लाई गई तत्वों के आधार पर विचार किया होना चाहिए।

उपरोक्त टिप्पणियां जो, *भोला भगत और अन्य बनाम बिहार राज्य- एससीसी (1997) 8-720*, में जो कहा गया था, उसके संदर्भ में की गई थीं। जिसे निम्नानुसार निकाला गया है:

“18. इस फैसले से अलग होने से पहले, हम इस बात पर फिर से जोर देना चाहेंगे कि जब किसी आरोपी की ओर से याचिका दायर की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की परिभाषा के अर्थ के भीतर एक "बच्चा" था। अधिनियम के तहत, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि वह आरोपी द्वारा दावा की गई उम्र के बारे में कोई संदेह रखता है, तो आरोपी की उम्र के प्रश्न के निर्धारण के लिए स्वयं परीक्षण करे या परीक्षण कराए और, समान रूप से इसके बारे में एक रिपोर्ट मांगे।, यदि आवश्यक हो, तो पक्षों को उस संबंध में साक्ष्य देने के लिए कहें। सामाजिक रूप से उन्मुख विधि की लाभकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय का दायित्व है कि जहां इस तरह की याचिका उठाई जाती है, वहां, वह उस याचिका की सावधानीपूर्वक परीक्षण करे और उस याचिका में, अभियुक्त के प्रावधानों के लाभ के संबंध सकारात्मक निष्कर्ष निकाले बिना वह अपने हाथ नहीं मोड़ सकता है। न्यायालय को एक परीक्षण करनी चाहिए, और एक तरह से या दूसरा तरीके से उम्र के बारे में एक निष्कर्ष वापस करना चाहिए।

(ड) इसके अलावा, *जबर सिंह बनाम दिनेश और एक अन्य, एस. सी. सी. (2010) 3-757*

के वाद में, इस न्यायालय द्वारा एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जाता है जिसमें विद्यालय अभिलेख या हस्तांतरण प्रमाण पत्र के प्रवेश पत्र में जन्म तिथि की प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करती है, अर्थात्, उक्त प्रविष्टि किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर में नहीं थी और न ही किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई थी, या किसी व्यक्ति द्वारा देश की विधि द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के प्रदर्शन में और इसलिए उक्त साक्ष्य, उक्त मामले में, अभियुक्त की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी कथित अपराध के समय नाबालिग था।

(च) *बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य और दूसरा-एस. सी. सी. (2008) 13-133*, इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:

"22. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने हेतु एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। जन्म तिथि का निर्धारण तात्त्विक अभिलेख पर और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के आधार पर किया जाना है। व्यक्ति की आयु के बारे में चिकित्सीय साक्ष्य हालांकि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, परंतु निर्णायक नहीं है, और अन्य ठोस साक्ष्य के साथ विचार किया जाना चाहिए।

23. यह सच है कि *अर्जीत दास बनाम बिहार राज्य* के वाद में इस न्यायालय ने न्यायिक राय की समीक्षा करते हुए कहा है कि अभियुक्त की आयु का निर्धारण के प्रश्न पर विचार करते हुए, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि वह किशोर है या नहीं, एक अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए- अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करते हुए कि वह एक किशोर था और यदि उस साक्ष्य पर दो विचार संभव हो सकते हैं, तो न्यायालय को एक आरोपी को नजदीकी मामलों में किशोर होने के पक्ष में झुकना चाहिए। हम इस तथ्य से भी अनजान नहीं हैं कि एक कल्याणकारी विधि होने के नाते, न्यायालयों को यह देखने के लिए उत्साही होना चाहिए कि एक किशोर को अधिनियम के प्रावधानों का पूरा लाभ मिले, लेकिन साथ ही अदालतों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि गंभीर अपराध करने के लिए दंड से बचने के लिए बेईमान व्यक्तियों द्वारा अधिनियम के तहत संरक्षण और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न किया जाए।"

(छ) *मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह -एस. सी. सी. (2015) 7- 733*, में यह देखा गया कि जन्म तिथि के निर्धारण हेतु अस्थीकरण परीक्षण एकमात्र मानदंड नहीं है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र और माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यह देखा गया कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि अभियोजक, जो उसमें, था, घटना के

समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी। जन्म प्रमाण पत्र और माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि में दो दिनों का अंतर था लेकिन इसे एक मामूली विसंगति माना गया। उस मामले में, यह माना गया था कि घटना की तारीख को अभियोजक की आयु 16 वर्ष से कम थी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाये।

(ज) *संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा-एस. सी. सी. (2019) 12-370*, हम में से एक (माननीय न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,.) द्वारा लिखित एक निर्णय है, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा-7 ए के तहत आयु के निर्धारण के उद्देश्य से मैट्रिक प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर विचार किया गया। उक्त वाद में, किशोर न्याय बोर्ड ने किशोरता के दावे को खारिज कर दिया था और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड के किशोरता के दावे को खारिज करने के फैसले की पुष्टि की। उक्त मामले में, यह देखा गया कि सीबीएसई द्वारा रखे गए अभिलेख विशुद्ध रूप से छात्रों की अंतिम सूची के आधार पर थे जो वरि माध्यमिक विद्यालय द्वारा अग्रेषित किये गये थे, जहाँ दूसरे प्रतिवादी ने कक्षा 5 से 10 तक अध्ययन किया था, और किसी अन्य अंतर्निहित दस्तावेज़ के आधार पर नहीं। दूसरी ओर, जन्म तिथि का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण था जो एक अन्य विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज किया गया था जिसमें दूसरा प्रतिवादी कक्षा 4 तक पढ़ा था और जो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों प्राप्त करते समय अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण द्वारा समर्थित था। यह देखा गया कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में जो जन्म तिथि परिलक्षित होता है, को प्रामाणिक या विश्वसनीय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। उक्त वाद में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसमें दूसरे प्रतिवादी की जन्म तिथि 17.12.1995 थी और वह किशोरता का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि कथित घटना की तिथि 18.08.2015 थी।

उक्त मामले में, इस न्यायालय द्वारा *अश्विनी कुमार सक्सेना (सु.को.)* और *अबुजर हुसैन (सु.को.)* के निर्णय पर विचार किया गया और यह नोट किया गया कि *अबुजर हुसैन* में निर्णय, *अश्विनी कुमार सक्सेना* में निर्णय के तीन दिन बाद दिया गया था।, और, *अबुजर हुसैन* निर्णय, जो तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था, यह देखा गया कि विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करेगी और उस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

अबुजर हुसैन (सु.को.) में माननीय न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर द्वारा यह देखा गया था। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जाँच का निर्देश देना अभियुक्त को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। पूर्व में, न्यायालय केवल एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, जबकि एक घोषणा साक्ष्य का आधार पर की जाती है। इसलिए, परीक्षण का निर्देश देने के चरण में दृष्टिकोण अधिक उदार होना चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय की विफलता हो। दोनों के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक अलग-अलग है। पूर्व में, न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है। अंततः, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायालय कैसे प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के लिए ऐसे तत्वों का मूल्यांकन करता है और न्यायालय द्वारा जाँच का निर्देश, हो भी सकता है और नहीं भी। उत्तरार्द्ध में, न्यायालय साक्ष्य पर एक घोषणा करता है कि यह ऐसे साक्ष्य की परीक्षण करता है और केवल तभी स्वीकार करता है जब वे स्वीकार करने के योग्य हों। माननीयो द्वारा आगे निम्नानुसार देखा गया:

“इसलिए, प्रत्येक मामले में न्यायालय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करेगा, आवश्यकता पड़ने पर बेहतर शपथपत्रदाखिल करने पर जोर देगा, और यहां तक कि किसी भी मामले में निर्देश भी देगा कि माता-पिता की आयु, भाई-बहनों की आयु और इसी तरह की जानकारी सहित प्रासंगिक मानी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी, मामले-दर-मामले के आधार पर यह निर्णय लेने से

पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए कि धारा 7-ए के तहत इसकी परीक्षण की जानी चाहिए या नहीं। यह अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष के लिए ऐसी तत्वों का मूल्यांकन कैसे करता है कि चाहे न्यायालय परीक्षण का निर्देश दे, या न दे।”

- (i) पराग भाटी (विधिक अभिभावक-माता-श्रीमती रजनी भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा के माध्यम से किशोर) एस. सी. सी. -(2016) 12-744 के वाद में, उपरोक्त दोनों निर्णयों पर विचार किया गया और इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में कोई साफ और स्पष्ट मामला है कि वह घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग था और प्रथम दृष्टया, दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम यही साबित करते हैं, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा। लेकिन जब कोई आरोपी एक गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक शरण लेने का प्रयास करता है, तो यह अभिलेखित करते समय कि क्या कोई आरोपी नाबालिग है या नहीं, एक आकस्मिक या स्वाभाविक दृष्टिकोण है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि न्यायालयों को न्याय के प्रशासन के साथ सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया गया है।

35. किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े उदारतापूर्ण विधि के सिद्धांत का लाभ इस प्रकार अधिनियम केवल ऐसे वादों पर ही लागू होगा, जिसमें अभियुक्त को कम से कम प्राथमिक आधार पर किशोर माना जाता है, कथित अभियुक्त व्यक्ति की आयु के संबंध में दो विचारों की संभावनाओं के लाभ के रूप में उसके अल्पमत के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य, जो गंभीर और गंभीर अपराध में शामिल है जो उसने किया और दिया निर्दोषता के बजाय उसके मन की परिपक्वता को दर्शाते हुए एक सुनियोजित तरीके से इसका प्रभाव यह दर्शाता है कि उसकी किशोरता की याचिका विधि के उपायों को चकमा देने या धोखा देने के लिए ढाल, एक के स्वभाव में अधिक है, को उसके बचाव में नहीं आने दिया जा सकता है। (जोर दिया गया) उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का उद्देश्य गंभीर और जघन्य अपराधों के अभियुक्तों को आश्रय देना नहीं है।

36. यह विधि की स्थिर स्थिति है कि यदि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं और जन्म तिथि की शुद्धता को साबित करने के लिए कोई अन्य तत्व नहीं है, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को अभियुक्त की जन्म तिथि के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, यदि अभियुक्त द्वारा कोई संदेह या विरोधाभासी रुख अपनाया जा रहा है जो जन्म तिथि की शुद्धता पर संदेह पैदा करता है तो जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अबुजर हुसैन मामले में निर्धारित किया गया है, अभियुक्त की आयु निर्धारित करने के लिए परीक्षण की अनुमति है जो इस मामले में की गई है। वर्तमान मामला।"

(झ) माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता द्वारा, *राम विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-सी.*

आर. आर्. एल. जे. 2021-2805 में दिए गए निर्णय में यह देखा गया कि अस्थिकरण परीक्षण आयु निर्धारण का एकमात्र मानदंड नहीं है और व्यक्ति की आयु के बारे में दृष्टिहीन और यांत्रिक दृष्टिकोण को केवल इस क्ष-रश्मिक परीक्षण की चिकित्सकीय राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। यद्यपि, क्ष-रश्मिक परीक्षण, किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, लेकिन किसी व्यक्ति की आयु का साक्ष्य नहीं है। निर्णायक और निर्विवाद प्रकृति और यह त्रुटियों की सीमा के अधीन है। एक व्यक्ति की उम्र के बारे में चिकित्सा संबंधी साक्ष्य, हालांकि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, परंतु निर्णायक नहीं है और अन्य बातों एवम परिस्थितियों के साथ विचार किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार निकाले गए हैं:

"14. हम पाते हैं कि नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया तात्त्विक रूप से, अधिनियम की धारा 94 से अलग नहीं है, जिसमें व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए के प्रावधान हैं। नियम 12 (3) (ए) (1) और (2) के रूप में मामूली बदलावों को भाषा में, मामूली बदलाव के साथ जोड़ा गया है। अधिनियम की धारा 94 में, बच्चा या किशोर की आयु सीमा के लाभ के संबंध में प्रावधान नहीं है जो कि उन्हें दिया जाना है जैसा कि नियम 12(30(ख)) में प्रावधान किया गया था। अधिनियम की धारा 94 के

अधिनियमन के साथ, अस्थिकरण परीक्षण के महत्व में कोई बदलाव नहीं आया है, अस्थिकरण परीक्षण की विश्वसनीयता कमजोर बनी हुई है जैसा कि नियमों के नियम 12 के तहत था।

15. अधिनियम की योजना के अनुसार, जब समिति या बोर्ड को व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो बोर्ड या समिति आयु की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना बच्चे की लगभग आयु को बताते हुए टिप्पणियों को दर्ज करेगा। इसलिए, आयु निर्धारित करने के पहले प्रयास में, बोर्ड या समिति के समक्ष लाए जाने पर व्यक्ति के शारीरिक रूप का आकलन करना है। यह केवल संदेह के मामले में है, साक्ष्य की मांग करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। उस स्तर पर, जब कोई व्यक्ति लगभग 18 वर्ष का होता है, तो अस्थिकरण परीक्षण को विधिक उलझन में किसी व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालांकि, जब व्यक्ति की आयु लगभग 40-55 वर्ष है, तो हड्डियों की संरचना उम्र निर्धारित करने में सहायक नहीं हो सकती है। इस न्यायालय ने अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और अन्य एस. सी. सी. (2020) 7 -1, के वाद में, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के संदर्भ में कहा कि लैटिन सिद्धांत के अनुसार, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, विधि अस्म्भव करने हेतु विवश नहीं करती है। इस प्रकार, जब अस्थिकरण परीक्षण भरोसेमंद और विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकता है, तो इस तरह के परीक्षण को घटना की तारीख पर संबंधित व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, किसी भी भरोसेमंद और विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थी की आयु का पता लगाने के लिए, वर्ष 2020 में आयोजित अस्थिकरण परीक्षण, जब अपीलार्थी की आयु 55 वर्ष थी, घटना की तारीख को उसे किशोर घोषित करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है।

29. उपरोक्त निर्णयों पर संचयी रूप से विचार करने पर जो सामने आता है वह इस प्रकार है:

- (i) वाद के अंतिम निपटारे के बाद भी आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में किशोरावस्था का दावा किया जा सकता है। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस

तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष भी उठाया जा सकता है।

(ii) किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन या तो न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किया जा सकता है।

(ii क) जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का मुद्दा उठता है, तो यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के तहत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

(ii ख) यदि किशोर होने का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के प्रावधान को व्यक्ति की लगभग उम्र जितनी हो सके को बताते हुए एक खोज को दर्ज करने के उद्देश्य के लिए सबूत की तलाश करने के लिए धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ लागू करना या पढ़ना होगा।

(ii ग) जब किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किया जाता है, जब कथित अपराध के संबंध में मामला किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत विचार की गई प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि किशोर न्याय बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य और उसके द्वारा अभिलिखित आयु की मांग करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया का कार्य करेगा। इस प्रकार किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु इसके समक्ष लाए जाने पर, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए, यह माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति की वास्तविक आयु

होगी। अतः यह किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण की डिग्री, तब, जब किशोरावस्था के दावे के लिए आवेदन दायर किया गया है, जब वाद संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष होता है, तो किशोरावस्था उस न्यायालय द्वारा की गई परीक्षण की तुलना में अधिक होती है, जिसके समक्ष अपराध करने के संबंध में मामला लंबित होता है (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार)।

- (iii) कि जब किशोरावस्था के लिए दावा किया जाता है, तो न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने का दबाव होता है। तथापि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए किशोर न्याय नियम 2007 के नियम 12 (3) (ए) (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोरावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है।
- (iv) यद्यपि उक्त अनुमान किशोरावस्था की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है, और इसका खंडन विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विपरीत साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।
- (v) कि न्यायालय द्वारा जाँच की प्रक्रिया वही नहीं है जो किशोर न्याय. बोर्ड के समक्ष व्यक्ति की आयु को किशोर घोषित करने के लिए मांगी गई है जब वाद विचारण हेतु संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष लम्बित है। जाँच के मामले में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर घोषणा की जाती है। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को उसके सामने लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा। इस प्रकार, परीक्षण में सबूत का मानक उस कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण से अलग होता है जिसमें किसी व्यक्ति की उम्र का

निर्धारण और घोषणा जाँच किए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए और केवल तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

- (vi) यह कि व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। यह अभिलेख पर सामग्री के आधार पर और प्रत्येक मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर होना चाहिए।
- (vii) इस न्यायालय ने कहा है कि जब अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह एक किशोर था तो एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।
- (viii) यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को आरोपी को किशोर ठहराने के नजदीकी मामलों के पक्ष में झुकना चाहिए। यह आदेश है कि यह सुनिश्चित करना कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का लाभ, विधि के साथ संघर्ष में किशोर पर लागू किया जाता है। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का, गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
- (ix) कि जब आयु का निर्धारण विद्यालय अभिलेख जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखा गया कोई भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है।
- (x) कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप हो, जैसे मैट्रिक प्रमाणपत्र, न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा

सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम; धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

- (xi) आयु निर्धारण और आयु के संबंध में एक यांत्रिक दृष्टिकोण के लिए अस्थिकरण परीक्षण एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। व्यक्ति को केवल क्ष-रश्मिक परीक्षण द्वारा चिकित्सकीय सलाह के आधार पर गोद नहीं लिया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य निर्णायक नहीं हैं, लेकिन केवल किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक पर विचार किया जाना चाहिए।

30. विधि की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वाद के तथ्यों पर भी यही लागू किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाता है कि दिनांक 05.05.2020 की दर्ज प्राथमिकी में प्रतिवादी स०-2 निशु पुत्र-भूषण के रूप में लिखा गया है और यह कहा गया है कि निशु पुत्र-भूषण और अन्य आरोपी एक फरसा (युध् कुल्हाड़ी), लाठी और बलकाटी (बेंत-चाकू) लिये हुए थे और शिकायतकर्ता/अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया था (अनुलग्नक पी -1).

31. प्रतिवादी स०-2 की ओर किशोर न्याय बोर्ड, बागपत के समक्ष दायर किया गया एक आवेदन विविध वाद स०-16 /2020 एक इस घोषणा के लिये किया गया था कि प्रतिवादी स०-2 निशांत एक किशोर अपराधी था और कथित अपराधों की तारीख यानी 05.05.2020 को उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष 8 महीने थी। सक्षम सत्र न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

32. जैसा भी हो। उपरोक्त आवेदन के समर्थन में, उत्तर प्रदेश, उच्च विद्यालय एवम इंटरमिडियेट परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी उच्च विद्यालय का प्रमाण पत्र-सह-अंक पत्रक प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी स०-2 निशांत की जन्म तिथि

25.09.2004 थी और उसने फरवरी, 2019 में आयोजित उच्च विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उक्त प्रमाणपत्र दिनांक 27.04.2019 का है।

33. यह प्रतिवादी स०-2 की माँ द्वारा कहा गया था कि प्रतिवादी स०-2 का जन्म प्रमाण पत्र उनके जन्म के बाद नहीं माँगा गया था; यह कि, जब प्रतिवादी स०-2 के पिता ने ,सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंडोरा, जिला बागपत, में कक्षा 1 में प्रवेश मांगा तब स्कूल में प्रवेश के समय जन्म के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। जन्म तिथि का मौखिक रूप से उल्लेख किया गया था। यह कि प्रतिवादी स०-2 निशांत ने सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 तक पढ़ाई की और उसके बाद 9वीं कक्षा के लिए एक अन्य विद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शजरपुर, कैदना जिला बागपत में भर्ती कराया गया। प्रतिवादी स०-2 की माँ ने उसकी प्रतिपरीक्षण में दोहराया है कि प्रतिवादी स०-2 निशांत की जन्म तिथि का सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 में के प्रवेश के समय मौखिक रूप से उल्लेख किया गया था और इस संबंध में कोई दस्तावेज स्कूल में जमा नहीं किया गया था।

34. विपक्षी साक्ष्य स०-2 सरदार वल्लभभाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, शजरपुर, कैदना, जिला बागपत, के प्राचार्य, मनोज कुमार ने अपने बयान में कहा कि प्रतिवादी नं.2 निशांत को 9वीं कक्षा में 04.07.2017 को भर्ती कराया गया था, और प्रत्यर्थी सं.2 की जन्म तिथि 25.09.2004 दर्ज करने वाला एक स्थानांतरण पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और यही बात विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज की गई थी। सभी प्रवेश प्रपत्रों पर छात्र और उनके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे लेकिन पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं किया गया था।

35. अनुलग्नक पी-11 सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंडोरा, बागपत का, प्रवेश आवेदन की एक प्रति है जो हिंदी में है, जिसपर प्रतिवादी स०-2 ने हस्ताक्षर किए हैं।

अनुलग्नक पी-12 कक्षा 8 में प्रवेश पाने के लिए दिनांक 03.04.2014 के आवेदन पत्र की एक प्रति है। प्रतिवादीओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अनुलग्नक पी-11 और अनुलग्नक पी-12 पर प्रतिवादी स०-2 के हस्ताक्षर की तुलना में, यह उल्लेख किया गया है कि अनुलग्नक पी-11 पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि अनुलग्नक पी-12 पर हस्ताक्षर वर्ष 2014 में किए गए थे और वे समान हैं। इसके अलावा, कक्षा 1 में प्रवेश पाने के इच्छुक बच्चे के लिए प्रवेश पत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करना संभव नहीं है।

36. विपक्षी साक्ष्य स०- 3, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंदोरा जिला बागपत, के प्राचार्य, सुरेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि प्रतिवादी स०-2 निशांत की उम्र कक्षा 1 में प्रवेश के समय चार साल से थोड़ी अधिक थी; यह कि निशांत की कोई तस्वीर प्रवेश पत्र पर नहीं चिपकाया गयी थी और न ही निशांत के पिछले स्कूल का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था; यह कि निशांत ने सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाई की और कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद, कक्षा 6 के लिए प्रवेश पत्र भरना था लेकिन वह फाइल में उपलब्ध नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 03.04.2014 का प्रवेश पत्र जिस पर निशांत और उनके पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे यह अभिलेख पर उपलब्ध था और कक्षा 8 से संबंधित था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश प्रपत्र पर निशांत के हस्ताक्षर समान हैं लेकिन उक्त प्रवेश प्रपत्र मनगढ़ंत नहीं हैं।

37. किशोर न्याय बोर्ड, बागपत ने अपने दिनांक 14.09.2020 के आदेश द्वारा प्रतिवादी स०-2.निशांत की चिकित्सीय परीक्षण की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया और यहाँ यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इसे अपास्त कर दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड के अनुसार, संबंधित बोर्ड द्वारा जारी

मैट्रिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 25.09.2004 होने का संकेत दिया गया था और इस तरह के दस्तावेज के अभाव में ही आयु का निर्धारण अस्थिरकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाना था। वर्तमान वाद में, चूंकि मैट्रिक बोर्ड का प्रमाण पत्र उपलब्ध था, इसलिए निशांत के चिकित्सीय परीक्षण के लिए आदेश देना अनावश्यक था।

38. इसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने अपने दिनांक 11.11.2020 के आदेश से प्रतिवादी स०-2 निशांत के लिए ,प्रतिवादी सं.1 की ओर से दर्ज वाद स०-16/2020 को लागु कर दिया। किशोर न्याय बोर्ड ने पाया कि प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, मेरठ, यूपी द्वारा दिनांक 22.07.2020 को जारी पत्र से पता चलता है कि आरोपी निशांत की जन्म तिथि को हाई स्कूल की मार्कशीट में 25.09.2004 के रूप में दर्ज किया गया था। घटना की तारीख 05.05.2020 थी। अतः प्रतिवादी स०-2 निशांत, घटना की तारीख तक 15 साल और 8 महीने के थे।

39. किशोर न्याय बोर्ड के दिनांक 11.11.2020 के आदेश द्वारा, धारा 147,148,149,323,307,302 और भ. दं. सं की धारा 34 के तहत अपराधों के लिए थाना सिंघावली अहिर, जिला बागपत में दर्ज अपराधिक वाद सं-116/2020 में प्रतिवादी स०-2 निशांत एक किशोर अपराधी के रूप में थे ।

40. उपरोक्त आदेश को जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कायम रखा है कि वर्तमान वाद में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 का पालन किया गया था और जैसे कि संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में चाहिए प्रतिवादी स०-2.निशांत की जन्म तिथि 25.09.2004 होने का संकेत दिया था। इसलिए, किशोर न्याय अधिनियम, 2015

की धारा 94 की उप-धारा 2 लागू होती है क्योंकि उक्त दस्तावेज़ पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं था। इसे नकारने के लिए कोई सबूत नहीं होने के अभाव में, आपराधिक पुनरीक्षण बर्खास्त कर दिया गया। यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (3) के बल पर है जो एक उपबंध है।

41. यद्यपि अपीलार्थी के, विद्वान अधिवक्ता श्री द्विवेदी, ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी.स०-2-निशांत के हस्ताक्षर कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश पत्रों पर समान हैं और कक्षा 1 के प्रवेश पत्र पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि कक्षा 1 में प्रवेश के समय निशांत केवल साढ़े चार साल के थे। लेकिन तथ्य यह है कि 2019 में, जब निशांत ने अपनी कक्षा 10 पूरी की, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई है। अतः, प्रतिवादी.स०-2-निशांत की उम्र, घटना की तारीख को केवल 15 वर्ष थी, और किसी भी मामले में उनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी।

42. किसी भी साक्ष्य के खंडन के अभाव में अपीलार्थी द्वारा यहाँ अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य, भले ही कक्षा 1 और कक्षा 8 में प्रवेश की मांग करने वाले दस्तावेज़ अमान्य या अस्वीकृत हों, तथ्य यह है कि -संबंधित बोर्ड द्वारा जारी निशांत की मैट्रिक अंकपत्र, इससे संबंधित है जो इस धारणा को जन्म देता है कि निशांत घटना की तारीख यानी 05.05.2020 को 16 साल से कम उम्र के थे। इसके अलावा, प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के दिनांक 22.07.2020 के पत्र में उनकी उम्र 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई है।

43. इसमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं जो *संजीव कुमार गुप्ता* के निर्णय को अलग करेंगे। सबसे पहले, *संजीव कुमार गुप्ता* के वाद में, इस न्यायालय ने पाया कि हालाँकि, सी. बी. एस. ई. अभिलेख की पुष्टि करने वाला कोई अंतर्निहित दस्तावेज़ नहीं था जो उनके माध्यमिक विद्यालय द्वारा अग्रेषित दस्तावेज़ की अंतिम सूची के आधार

पर रखा गया था, मैं जन्म तिथि का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण था जो उस विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज किया गया था जिसमें दूसरा प्रतिवादी कक्षा 4 तक उपस्थित रहा था और जिसे खुलासा अभियुक्त द्वारा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों प्राप्त करते समय स्वैच्छिक रूप से किया गया था।

44. वर्तमान वाद में, अनु०--पी-11 और 12 को यह साबित करने के लिए भरोसा किया गया है कि उक्त दस्तावेजों में उल्लिखित प्रतिवादी स०-2 कि जन्म तिथि, मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के अनुरूप हैं। हालांकि, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनु०--पी-11 और 12 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और तथ्य यह है कि राजपत्र वर्ष 2019, अनुक्रमणिका संख्या-0485064 वर्ष 2019 के साथ आरोपी निशांत की हाई स्कूल की अंक पत्रिका की एक फोटो कॉपी, जिसके संबंध में सत्यापन पत्र दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (मेरठ) से प्राप्त सत्यापन अभिलेख स०-आर.ओ.आइ.इ.सी./4016 दिनांक 22.07.2020 ने भी आरोपी निशांत की जन्म तिथि को 25.09.2004 के रूप में प्रमाणित किया। इसके अलावा, उक्त मैट्रिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि विद्यालय प्रवेश अभिलेख में दर्ज किया गया है मैं दी गई जन्म तिथि और साथ ही मैट्रिक प्रमाणपत्र की जन्म तिथि समान हैं, अर्थात्, 25.09.2004. है। यह घटना 05.05.2020 को हुई। अतः प्रतिवादी स०-2 की उम्र घटना की तारीख को केवल 15 वर्ष 7 महीने थी जो किसी भी मामले में 16 वर्ष से कम है।

45. दूसरा, संजीव कुमार गुप्ता में, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधिश के निष्कर्षों को मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर उलट दिया था कि उक्त प्रमाण पत्र रखने वाले को किसी भी अन्य दस्तावेज के मुकाबले वरीयता दी जाएगी। इस न्यायालय ने

इसे उलट दिया क्योंकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आठवीं कक्षा की अंकपत्र में दूसरे प्रतिवादी की जन्म तिथि को 27.12.1995 के रूप में इंगित किया गया था, जबकि मैट्रिक प्रमाण पत्र ने जन्म तिथि को 17.12.1998 के रूप में इंगित किया था। और, चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार, यह राय दी गई थी कि दूसरा प्रतिवादी 09.11.2016 को उन्नीस साल का था, जब कथित अपराधों को उक्तमामले में उसके द्वारा किया गया था।

46. परंतु वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, मैट्रिक प्रमाण पत्र में दूसरे प्रतिवादी की जो जन्म तिथि दी गई है, उसके विपरीत जन्म तिथि का संकेत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार, जन्म तिथि में ऐसी कोई विसंगति यहाँ उत्पन्न नहीं होती है। दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई विरोधाभासी सबूत नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय जिसने इस मामले में जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है के उस आदेश से भिन्न मत के इच्छुक नहीं हैं।

47. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94, किशोर न्याय बोर्ड या समिति के समक्ष लाये गये बच्चे की आयु की किशोरावस्था के बारे में एक धारणा तय करती है। लेकिन यदि बोर्ड या समिति के पास संदेह के लिए उचित आधार है कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो वह साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस प्रकार, प्रारंभिक चरण में एक धारणा है कि समिति या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पहले लाया गया बच्चा ,एक किशोर है जिसे उक्त अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाना है। उक्त अनुमान बच्चे के अवलोकन पर लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, उक्त धारणा तब नहीं हो सकती है,जब समिति या बोर्ड के पास व्यक्ति के संबंध में इस संदेह के लिए उचित आधार है कि उसके सामने लाया गया वह

व्यक्ति बच्चा है या नहीं। ऐसे वाद में, यह आयु निर्धारण की प्रक्रिया साक्ष्य द्वारा शुरू कर सकता है जो इस रूप में हो सकता है:

- (i) संबंधित बोर्ड के विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र की तिथि, यदि उपलब्ध हो या इसका अनुपस्थिति में;
- (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, और उपरोक्त के अभाव में;
- (iii) समिति या बोर्ड के आदेश पर, किया जाने वाला आयु का निर्धारण एक अस्थिरण परीक्षण या किसी अन्य चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाना है।

48. समिति या बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रयोजन हेतु उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (3) के प्रावधान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समिति या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बच्चे की उम्र के बारे में यदि विवाद या संदेह लाया गया है, उसको किशोर न्याय बोर्ड या स्वयं समिति के स्तर पर स्थापित करने की मांग की जाती है।

49. इन परिस्थितियों में, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं अतः इसे खारिज किया जाता है।

50. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, को निष्पादित किया जाता है।

दिव्या पाण्डेय

अपील खारिज।